

Council of Scientific and Industrial Research
Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, New Delhi

No.8-6(2)/2014-Security

Feb 9, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Introduction of Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) in CSIR HQ – Organising Special Aadhaar Enrollment Camps (AECs) for staff of CSIR HQ and Divisions thereunder


In accordance with the GoI directives as contained in Department of Personnel & Training OM No. 11013/9/2014/Estt [A-III] dated 21 November 2014, efforts are underway to introduce/implement Aadhaar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) in CSIR in a phased manner.

2. In the first phase, it has been decided to introduce/implement AEBAS in the CSIR HQ. (including HRDG, ESD, RAB, TKDL and IPU) and Competent Authority has nominated Ms Renuka Ramachandran, US CSIR HQ as the Nodal Officer for this purpose to interact with the NIC officials and facilitate administrative support from the CSIR HQ..

3. For purposes of Biometric attendance, the ID of every employee will be generated with the help of Aadhaar details and therefore, it is mandatory that every employee provides his/her Aadhaar details prior to the process of employee registration in the enclosed proforma **on or before 20 Feb 2015 and submit the same to the Nodal Officer** for facilitating employee registration.

4. Such of those **officers who are yet to enroll for Aadhaar** may also submit the duly completed proforma **within the stipulated time** so that Special Aadhaar Enrolment Camps (AECs) shall be organized by the Nodal Officer in coordination with UIDAI in the office premises.

This issues with the approval of the Competent Authority.


YK Sharma
Sr DS (CO)

All Officers in the CSIR HQ/HRDG/HRDC/RAB/ESD/IPU

Copy to:
All Heads of Division including HRDG/ESD/RAB/IPU
US, Office of DG CSIR
PA to JS(A)/FA/CVO
Office Copy

Particulars of Staff for Employee Registration

E1

[illegible]

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली

सं.8-6(2)/2014-सुरक्षा

दिनांक: फरवरी 9, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर मुख्यालय में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ईबीएस) की शुरुआत-
सीएसआईआर मुख्यालय तथा इसके प्रभागों के स्टाफ हेतु विशेष आधार नामांकन कैम्प (AECs) का आयोजन

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.11013/9/2014/स्था.(ए-III) में दिए गए निदेशानुसार सीएसआईआर में आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ईबीएस) को चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ/लागू करने हेतु प्रयास जारी है।

1. प्रथम चरण में, सीएसआईआई मुख्यालय में (एचआरडीजी, ईएसडी, आरएबी, टीकेडीएल तथा आईपीयू सहित) ईबीएस प्रारंभ/लागू करने का निर्णय लिया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी ने एएनआईसी अधिकारियों से बात-चीत करने तथा सीएसआईआर मुख्यालय से प्रशासनिक सहायता देने के उद्देश्य से सुश्री रेणुका रामचंद्रन, अवर सचिव, सीएसआईआर मुख्यालय को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है...
2. बायोमेट्रिक उपस्थिति के उद्देश्य हेतु प्रत्येक कर्मचारी की आईडी आधार संबंधी ब्यौरे की सहायता से तैयार की जाएगी और इसलिए यह अनिवार्य है कि कर्मचारी पंजीकरण की प्रक्रिया से पहले प्रत्येक कर्मचारी संलग्न प्रोफार्मा में अपना आधार संबंधी विवरण 20 फरवरी, 2015 तक या पहले उपलब्ध कराए और कर्मचारी पंजीकरण करने हेतु नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करें।
3. ऐसे अधिकारी भी जिनके पास आधार नहीं है, विधिवत पूर्ण प्रोफार्मा निर्धारित समय में प्रस्तुत करें ताकि नोडल अधिकारी द्वारा यूआईडीआई के समन्वय से कार्यालय परिसर में विशेष आधार कैम्प (AECs) आयोजित किया जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



वाई के शर्मा

वरिष्ठ उप सचिव (के.का.)

सीएसआईआर मुख्यालय/एचआरडीजी/ एचआरडीसी/आरएबी/ईएसडी/ आईपीयू के सभी अधिकारी

प्रति:

एचआरडीजी/ईएसडी/आरएबी/आईपीयू सहित सभी प्रभागों के प्रमुख

अवर सचिव, महानिदेशक सीएसआईआर का कार्यालय

संयुक्त सचिव (प्रशा.) / वित्त सलाहकार / मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव

कार्यालय प्रति

Particulars of Staff for Employee Registration

E1

[illegible]